भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2072

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं की खरीद

2072. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः
श्री सनातन पांडेयः
श्री चंदन चौहानः
श्री जुगल किशोरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं की खरीद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं और विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त मानदंडों में वर्ष-वार किए गए संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी अस्पतालों को आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से अलग-अलग खरीदी गई दवाओं की कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या दवाओं की खरीद हेतु कुछ दवा कंपनियों को अग्रिम भुगतान भी किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में उपयोग के लिए तैयार दवाओं के आयात की अनुमति के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी दवाओं के आयात की भी अनुमति दी गई थी जो देश में कम कीमतों पर उपलब्ध थीं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं की खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): केंद्र सरकार के अस्पताल नामत: सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (जीएफआर 2017), वस्तुओं की खरीद के लिए मैनुअल और दवाओं की खरीद के लिए समय-समय पर संशोधित भारत सरकार द्वारा जारी अन्य मौजूदा दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करते हैं।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त अस्पतालों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से खरीदी गई दवाओं की कुल लागत निम्नानुसार है:

अस्पताल का नाम	**राष्ट्रीय कंपनियों से खरीद (करोड़ रुपये में)**	**अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से खरीद (करोड़ रुपये में)**	**कुल खरीद (करोड़ रुपये में)**
सफदरजंग अस्पताल	194.92	30.6	225.52
डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	100.89	शून्य	100.89
लेडी हार्डिंग अस्पताल	34.12	4.43	38.56
ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र	8.85	शून्य	8.85

(ग): दवाओं की खरीद सरकारी नियमों के अनुसार की जाती है तथा दवाओं की आपूर्ति एवं आवश्यक सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाता है।

(घ) और (ङ): सीडीएससीओ के सुगम डाटाबेस में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में उपयोग के लिए तैयार दवाओं हेतु आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें रोगाणुरोधी, हृदय, श्वसन, जठरांत्र, अंतःस्रावी और हार्मोनल दवाएं, इम्यूनोमॉड्युलेटर, नेत्र संबंधी तैयारी, पोषण संबंधी पूरक, कीमोथेरेपी और रेडियो डायग्नोस्टिक एजेंट शामिल हैं।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी किए गए आयात लाइसेंसों का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	जारी किए गए आयात लाइसेंसों की संख्या
2022-23	141
2023-24	226
2024-25	113

(च): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी अस्पतालों सहित सभी खरीद संस्थाओं को पारदर्शिता, दक्षता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दवाओं की खरीद में सरकारी नियमों/दिशानिर्देशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

*****